न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 06/2018 (225 आरटीए) रिछपालसिंह बनाम श्यामसिंह वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00029)

रिछपालसिंह पुत्र श्री श्यामसिंह जाति राजपूत, निवासी बोरून्दा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

.... अपीलांट

बनाम

1 श्यामसिंह पुत्र श्री कालूसिंह,
2 प्रदीपसिंह पुत्र श्री दलपतसिंह,
3 निशाकंवर पुत्री श्री दलपतसिंह,
4 हिम्मतकंवर पुत्री श्री दलपतसिंह,
5 दुर्गेश कंवर पत्नी श्री दलपतसिंह,
6 गुलाबकंवर पुत्री श्री श्यामसिंह,
7 सुगनंकवंर पत्नी श्री श्यामसिंह

जातियान राजपूत निवासीगण बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

8 प्रबन्धक एसबीआई बैंक शाखा बिलाड़ा जिला जोधपुर।
9 भूमिधारी जरिए तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर दिनांक 28.12.2017 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 09/2017

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जावेद हुसैन।
2 रेस्पो. सं. 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़।
3 रेस्पोडेंट संख्या 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4 रेस्पो. सं. 8 बावजूद संचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30.04.2018

30/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के राजस्व वाद सं. 09/2017 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष धारा 53, 88 व 188 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की ओर से राजस्व वाद सं. 09/2017 पेश किया गया। जिसमें ग्राम बोरूंदा की राजस्व सीमा में अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 से 7 पुश्तैनी सहदायगी कृषि भूमि खसरा नं. 65/2 रकबा 7 बीघा, खसरा नं. 136 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 137 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 138 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 139 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा 5 रकबा 38 बीघा 9 बिस्वा भूमि आई हुई है यह वादग्रस्त आराजी अपीलांट के दादा कालूसिंह की खातेदारीशुदा भूमि रही है। कालूसिंह के देहांत होने के पश्चात अपीलांट के पिता श्यामसिंह प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से में पारिवारिक बंटवाड़ा के दौरान रखी गई आज के राजस्व रिकार्ड में रेस्पो. सं. 1 के नाम दर्ज है लेकिन मौके पर माफिक हक हिस्सा रेस्पो. सं. 1 के वारिसान को अलग-अलग मौखिक बंटवाड़ा कर कब्जा सुपूर्द कर दिया है लेकिन विधिवत तरीके से मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा नहीं किया है। अपीलांट अपने पिता से अलग निवास करता है तथा अपना व्यवसाय भी अलग करता है। अपने परिवार का जीवन निर्वहन पालना पोषण अपीलांट 1/4वां हिस्से की बंट में आई कृषि भूमि की आमदनी व अन्य आमदनी से करता है। अपीलांट अपने हक हिस्से की भूमि पर आज से करीब 6 वर्ष पूर्व अपीलांट जब अपने पिता व अन्य परिवारजनों से अलग हुआ तो उस दौरान अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त होकर कृषि कार्य कर रहा है। उक्त वाद प्रस्तुत कर अपीलांट के पक्ष में एवं रेस्पो. के विरुद्ध घोषणा खातेदारी की डिक्री इस आशय की सादर फरमाई जाने का निवेदन किया कि ग्राम बोरूंदा स्थित वादग्रस्त आराजी में अपीलांट को 1/4 हिस्सा का सहखातेदार घोषित फरमाया जावे व बंटवाड़ा करवाया जावे। तथा स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया तथा रेस्पो. को सम्मन जारी किए गए रेस्पो. सं. 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी सं. 8 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर

30/5
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई। रेस्पो. द्वारा न्यायालय के समक्ष जवाबदावा पेश नहीं किया, उसके अपीलांट के साक्ष्य पश्चात बहस सुनी गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.12.2017 को अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जावेद हुसैन ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी होने के तथ्य को अपीलांट ने अपने साक्ष्य से साबित किया लेकिन उसके बाबजूद भी वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को पुश्तैनी होने का दस्तावेज पेश नहीं करना बताते हुए उपरोक्त अनुतोष की डिक्री फरमाने से इंकार कर दिया जो कि गलत है जबकि अपीलांट का वाद स्वीकार योग्य था। अपीलांट के दावे का रेस्पो. द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया एवं ना ही रेस्पो. द्वारा अपने साक्ष्य रिकार्ड करवाई यानि कि अपीलांट के दावे के कथन पूर्ण रूप से अखण्डित रहे एवं अपीलांट की साक्ष्य भी अखण्डित होने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वाद खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने एवं अपील स्वीकार कर वाद को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़ ने बहस में कथन किया कि अपीलांट को हिस्सा दे दिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश सही पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। अपील सारहीन है तदनुसार अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पोडेंट संख्या 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं। अतः प्रकरण मे उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

8 अपील के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट ने वाद के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध इस न्यायालय में धारा 225 काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील पेश की है। जबकि निर्णय एवं डिक्री की अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही पेश की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के साथ डिक्री पर्चा भी पृथक से जारी किया है। अपीलांट ने केवल निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कर धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील पेश की है जो पोषणीय नहीं हैं। किसी दावे के निर्णय व डिक्री की अपील धारा 223 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ही इस न्यायालय में पेश की जा सकती है। अतः अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य पाई जाती है।

9 अतः अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है।

30/4/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/4/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर